सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 09, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 29, 2024 *Magha 09 Monday , Saka 1945- January 29 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 05, 2024

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा 1 के खण्ड क एवं धारा 7 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत नवगठित कृषि उपज मण्डी समिति सोजतसिटी के प्रथम बोर्ड के गठन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(38) कृषि/ग्रुप-2/2019 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा निम्नाकिंत मनोनीत सदस्यों का मनोनयन राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1961 की धारा 7 की उप धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।:-

कृषक वर्गः-

श्रीमती सुरेखा

श्रीमती रंजू देवी

श्रीमती तोलादेवी

सुश्री अनिता

श्री गणपत सिंह

श्री मांगीलाल

श्री महेन्द्र

श्रीमती कमला मेघवाल

व्यापारी /दलाल वर्गः-

श्री कैलाशचन्द

श्री मदनलाल

तुलाईकार/मापक/सर्वेक्षक

श्री रामचन्द्र देवड़ा

केन्द्रीय सहकारी विपणन सोसाइटी सदस्य

श्रीमती कमला

केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी का प्रतिनिधि

श्री प्रभुसिंह

नगरपालिका सदस्य

श्री प्रकाश पंवार

राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य

श्री भैराराम

श्री शरीफ मोहम्मद

स्थानीय विधायक

श्रीमती शोभा चौहान

राज्यपाल की आज्ञा से,

कुन्तल विश्नोई,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।